<u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला—बालाघाट,</u> (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमाक-862 / 2006</u> संस्थित दिनाक-29.12.2006 फाई. क.234503000292006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बेहर जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– – – अभियोजन

<u> विरुद</u>्ध //

- 1–भरत धूपे पिता चन्दनलाल धूपे, उम्र–28 साल,
- 2—शरद धूपे पिता चन्दनलाल धूपे, उम्र–24 साल,
- 3-गुड्डू उर्फ राकेश पिता शंकरलाल, उम्र-28 साल, (फरार)
- 4—हरीश उर्फ हरी पिता मंजूलाल, उम्र—37 साल, सभी निवासी ग्राम भण्डेरी थाना बैहर जिला बालाघाट

— — <u>अभियुक्तगण</u>

/ <u>/ निर्णय</u> / / <u>(आज दिनांक—16 / 08 / 2017) को घोषित)</u>

01— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 294, 323 / 34(शीर्ष—तीन), 325, 506 भाग—2 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक—02.10.2006 को रात्रि के करीब 10:00 बजे स्थान मोहम्मद रसीद का मकान ग्राम भण्डेरी थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी मोहम्मद रसीद के आंगन में जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन किया, जाहिदा खान एवं जुबेदा शेख को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, मोहम्मद रसीद को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस आशय के अग्रसरण में मोहम्मद रसीद, जुबेदा शेख, सुनील धानेश्वर को हाथ—मुक्के एवं लाठी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया, आहत देवदत्त को लाठी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया तथा फरियादी मोहम्मद रसीद को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मो0 रसीद शेख ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक को दशहरा पर्व था और रावण जलाया गया था, तभी रात्रि करीबन 09 बजे बस्ती के राकेश, हरीश उनके घर के सामने पप्पू बिनया के पान टपरा को दोनों लोग ठोक रहे थे, तब उसकी लड़िक्याँ जाहिदा खान एवं जुबेदा शेख मकान के सामने आंगन में खड़ी थी, ने उन्हें मना किया कि क्यों पान टपरा तोड़—फोड़ कर रहे हो, पप्पू बालाघाट गया हुआ है। इसी बात को लेकर दोनों लड़के गुड़्डु उर्फ राकेश तथा हरीश लाठी—डंडा लेकर माँ—बहन को चोदू मुसलमान की गाली गलौच करते हुए उनके घर में घुस गये और दोनों ने

उसकी लड़िकयों जाहिदा एवं जुबेदा को मारपीट धक्का—मुक्की करने लगे, तो वह तथा उसकी पत्नी शहीदा शेख बीच—बचाव कर रहे थे, उसे गुड़्डू उर्फ राकेश ने लाठी से मारपीट की और अन्य आरोपीगण शरद आदि भी लाठी लेकर घर में घुस गये और मारपीट करने लगे, कुछ देर बाद देवदत धानेश्वर तथा सुनील धानेश्वर आकर उन्हें समझा रहे थे, तभी सभी आरोपीगण ने उन दोनों को भी डंडे से मारपीट किये तथा जान से खत्म करने की धमकी दिये तथा घर छोड़कर बस्ती की तरफ भाग गये। उक्त घटना में सभी आहतगण को चोटें आई थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक—111/06, धारा—456, 294, 323/34(शीर्ष—तीन), 325, 506 भाग—2 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 294, 323/34(शीर्ष—तीन), 325, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। प्रकरण में परिवादी मो० रसीद द्वारा आरोपीगण भरत एवं शरद धुपे से राजीनामा करने के कारण उक्त आरोपीगण को परिवादी के विरूद्ध धारा—323, 506 भाग—दो भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया गया। आरोपी हरिश के विरूद्ध संपूर्ण आरोपित अपराध तथा आरोपीगण भरत एवं शरद के विरूद्ध अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया गया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूढा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

- 1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक—02.10.2006 को रात्रि के करीब 10:00 बजे स्थान मोहम्मद रसीद का मकान ग्राम भण्डेरी थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी मोहम्मद रसीद के आंगन में जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर जाहिदा खान एवं जुबेदा शेख को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या अभियुक्त हरिश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोहम्मद रसीद को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस आशय के अग्रसरण में अन्य आरोपीगण के साथ मोहम्मद रसीद, जुबेदा शेख, सुनील धानेश्वर तथा अभियुक्त भरत एवं

शरद ने जुबेदा शेख, सुनील धानेश्वर को हाथ-मुक्के एवं लाठी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

- 4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत देवदत्त को लाठी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?
- 5. क्या अभियुक्त हरिश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मोहम्मद रसीद को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :--

विचारणीय प्रश्न कमांक 02

🎾 जुबेदा अ.सा.05 का कथन है कि घटना आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 8–9 बजे ग्राम भण्डेरी में उसके पिता रसीद के घर की है। घटना के समय आरोपीगण उसके साथ गंदी-गंदी गाली-गलीच उसके घर के सामने चौक पर खड़े होकर की थी, जो उसे सुनने में अच्छी नहीं लगी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घर के सामने पप्पू बनिया के पानठेले को ठोकने से मना करने पर आरोपीगण राकेश एवं हरिश ने उन दोनों बहनों को गंदी–गंदी गालियाँ दी थी। जाहिदा अ.सा.04 का कथन है कि घटना के समय आरोपीगण ने उसके घर के सामने शराब पीकर मॉं—बहन की गाली—गलौच की थी, जो उसे सुनने में अच्छी नहीं लगी थी। उक्त साक्षीगण के अलावा अन्य किसी साक्षी ने आरोपित अपराध का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में दोनों साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि घटना के समय गांव में रावण दहन का कार्यक्रम था, जिसमें लोग इकट्ठा थे तथा झगड़े में करीब 15-20 लोग शामिल थे। साक्षी जुबेदा अ.सा.05 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घर के सामने गांव के लोग शोर कर रहे थे, तो उन लोगों ने मना किया था, जिस बीच में देवदत उनके घर में आया था और हल्ला करने से मना किया था। साक्षी के अनुसार गांव के लोगों एवं देवदत के बीच झगड़ा हो रहा था। न्यायदृष्टांत शरद दवे वि० महेश गुप्ता २००५(४)एम.पी.एल.जे.३३०, बंशी वि० रामकिशन 1997 (२)डब्लयू.एन.२२४ के अनुसार केवल अश्लील गालियाँ दिया जाना धारा—294 भा.द.सं. का अपराध घटित नहीं करता। उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में तथा साक्षीगण के अपुष्ट साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने लोकस्थान के समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर जाहिदा एवं जुबेदा व अन्य को क्षोभ कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा–294 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 01, 03, 04 एवं 05

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 03, 04 एवं 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

साक्षी मो0 रसीद शेख अ.सा.६ का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग 10 वर्ष पूर्व रात्रि 9:00 बजे ग्राम भण्डेरी में उसके घर की है। आरोपी राकेश उर्फ गुडडु एवं आरोपी हरीश ने उसके घर पर अन्य लोगों के साथ लकडी लेकर आ गये थे और मॉ–बहन की गालि देकर पठान को मार दो कह रहे थे और आरोपी राकेश उर्फ गुड्डू एवं आरोपी हरीश ने उसे और उसकी लड़की जाहिदा खान एवं जुबेदा अंसारी तथा उसके घर पर उपस्थित देवदत्त के साथ लकड़ी से मारपीट किये थे, जिससे उसके पैर, पसली में चोटें आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी। उसका मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 02.10.2006 को आरोपी राकेश, हरीश उसके घर के सामने के टपरे को ठोक रहे थे, आरोपी राकेश और हरीश को उसकी लडकियों ने पान का टपरा ठोकने से मना किया, आरोपी राकेश एवं हरीश लकडी का डण्डा लेकर उसके घर के अंदर मॉ–बहन की गाली देते हुए घुस गये थे, आरोपी राकेश उर्फ गुड़ड़ ने उसके साथ लाठी से मारपीट किया था, जिससे उसे बांये पैर में चोट आई थी, आरोपी राकेश एवं हरीश ने घर के अंदर घुसकर उसकी दोनों लड़की जाहिदा खान, जुबेदा अंसारी एवं देवदत्त के साथ मारपीट किये थे। साक्षी के अनुसार देवदत मर गया कहकर कुएं में डालने का प्रयास कर रहे थे। यह अस्वीकार किया कि आरोपी भरत एवं शरद भी उनके घर में लाठी डण्डे लेकर घूसे थे और उन लोगों के साथ मारपीट किये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि आरोपी राकेश उर्फ गुड्डू तथा हरीश ने सुनील धानेश्वर के साथ भी मारपीट की थी, उसके साथ उसकी लड़की जुबेदा, सुनील धानेश्वर एवं देवदत्त का मुलाहिजा भी हुआ था, डर के कारण उनका पुरा परिवार घर से भागकर जंगल में जाकर छिपे थे, फिर पुलिस के आने पर उनके साथ बैहर आये थे। यह अस्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय आरोपी भरत एवं शरद के खिलाफ रिपोर्ट लिखाया था और उसने पुलिस कथन प्रपी0–2 के समय आरोपी भरत एवं शरद के द्वारा घर घुसकर मारपीट करने वाली बात बतायी थी। यह स्वीकार किया कि उसका आरोपी भरत एवं शरद से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है, किन्तू यह अस्वीकार किया कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है ।

07— साक्षी मो0 रसीद शेख अ.सा.6 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी0—2 में बता दिया था कि डर के कारण जंगल में छिप गये थे और वहां पर पुलिस आई तब बैहर थाने आये थे, उसने अपने पुलिस कथन प्रपी0—2 में यह बता दिया था कि देवदत्त को मरा समझ कर डाल रहे थे, उसने अपने पुलिस कथन प्रपी0—2 में हरीश के द्वारा उसे व उसकी लड़कियों को मारने वाली बात बता दी थी, घटनास्थल पर जुबैदा खान, जाहिदा खान, देवदत्त, सुनील धानेश्वर के अलावा गांव के अन्य लोग भी उपस्थित थे, घटना बाजार चौक की है। साक्षी के अनुसार उसके घर की है। यह अस्वीकार किया है कि उसके घर पर 10–12 लोग मारपीट करने घुसे थे। साक्षी के अनुसार आरोपी राकेश उर्फ गुंडडू एवं हरीश मारपीट करने घुसे थे। यह स्वीकार किया है कि उसके घर के सामने बाजार चौक में हरीश की दुकान है तथा दिनांक 02.10.2006 के दो—चार दिन पहले आरोपी हरीश की दुकान से चोरी हुई थी तथा आरोपी हरीश के द्वारा उसके विरूद्ध में चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर पुलिस उसके घर पर पूछताछ करने आई थी, वह पुलिस की मुखबिरी का काम करता है। साक्षी के अनुसार उसके घर पर रोंड के किनारे एक कमरे में दुकान होने के कारण पुलिस आकर बैठती थी। यह अस्वीकार किया है कि देवदत्त एवं सुनील उसके घर पर घटना के पहले से उपस्थित थें, किन्त् यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पप्पू चौक पर उपस्थित नहीं था। वह नहीं बता सकता कि पप्पू के साथ मारपीट हुई या नहीं। साक्षी के अनुसार बाद में पप्पू के साथ भी मारपीट किये हैं। यह स्वीकार किया है कि उसके सामने पप्प से मारपीट नहीं किये थे। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी लडकी के साथ विवाद होने के पहले आरोपी हरीश अपनी दुकान के सामने खडा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी हरीश के साथ उसकी लड़कियों ने घटना के पूर्व गाली गुप्तार किये, उसने देवदत्त के साथ मिलकर हरीश को मारपीट की थी, चोरी की रिपोर्ट से बचने के लिये आरोपी हरीश के विरूद्ध में झुठी रिपोर्ट की थी, आरोपी हरीश ने उसके साथ एवं उसकी लडिकयों तथा सुनील देवदत्त के साथ किसी प्रकार की घटना घटित नहीं की थी और ना ही मारपीट की थी, आरोपी हरीश ने उन लोगों को गन्दी-गन्दी गालियाँ नहीं दी थी और जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, उसने आरोपी हरीश को फंसाने के लिये पुलिस के कहने पर डॉक्टर को पैसे देकर झूठी मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार करा लिया था, पुलिस ने उसके बयान घटना के 10–15 दिन बाद लिये थे। साक्षी ने स्वयं द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.७ में केवल आरोपीगण राकेश तथा हरिश के घर के में घुसकर मारपीट करने के कथन किये हैं तथा आरोपीगण भरत एवं शरद द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया।

08— साक्षी जुबेदा अ.सा.5 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से लगभग 10 वर्ष पूर्व रात्रि 8—9 बजे ग्राम भंडेरी में उसके पिता रसीद के घर की है। आरोपी गुड्डू, हरीश एवं उनके साथ अन्य आरोपी भी थे, जिन्होंने शेख मो. रसीद एवं देवदत्त के साथ डंडे, पत्थर एवं लोहे की राड से मारपीट किय थे, तो उसने बीचबचाव की थी। उसके साथ किसी ने मारपीट नहीं किये थे। आरोपीगण गंदी—गंदी गाली—गलौच कर रहे थे, जो सुनने में अच्छी नहीं लगी थी। आरोपीगण उसके घर के सामने चौक पर खड़े होकर गाली गलौच कर रहे थे। आरोपी गुड्डु ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसके पैर में चोट आई थी तथा शेष चोट का आज उसे ध्यान नहीं है। उसके साथ जब गुड्डू ने

मारपीट किया था, उस समय आरोपी हरिश भी था और अन्य लोग भी थे तथा लाईट बंद थी, तो दूसरे लोग समझ में नहीं आये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसके घर के सामने पप्प बनिया का पानठेला था और घटना दिनांक को आरोपी राकेश एवं हरिश घर के सामने चिल्लाने लगे और पान के टपरा को लकडी से ठोक रहे थे, तब उन दोनों बहनों ने उक्त दोनों आरोपीगण को ठोकने से मना किया था, तो वे उन्हें गंदी-गंदी गाली देने लगे और उक्त दोनों आरोपी गुड्डू एवं हरिश उनके घर में घुस गये थे और धक्का–मुक्की कर रहे थे, बीचबचाव करने के लिए उसकी माँ और अब्बा आये तो आरोपी गुडड़ ने उसके अब्बा की लाठी से मारपीट करने लगे थे, उसी समय आरोपी भरत, शरद तथा हरीश उनके घर के अंदर घुस कर उन दोनों बहन को मारपीट करने लगे थे, आरोपी हरीश ने उसे बांये हाथ में लकड़ी से मारा था, उसे आरोपी गुड़ड़ ने लकड़ी से पीठ पर मारा था, आरोपी भरत एवं शरद ने लकडी से उसके दाहिने हाथ और छाती पर मारे थे, देवदत एवं सुनील उनके घर के अंदर आकर क्यों मारपीट कर रहे हो समझाने पर चारों आरोपीगण ने लाठी से देवदत एवं सुनील के साथ मारपीट किये थे, आरोपीगण ने गांव से मकान छोड़ने की धमकी दिये थे, डर के कारण उन लोगों ने घर छोडकर बालाघाट में रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे थे, पुलिस ने पुछताछ कर उसके बयान लिये थे, घटना लगभग 10 वर्ष की हो गई है, इसलिये उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस को बयान दी थी या नहीं, इसलिये उसने बयान न देना मुख्यपरीक्षण में बताई थी, उक्त दुर्घटना में आई चोटों का शासकीय अस्पताल बैहर में परीक्षण हुआ था।

साक्षी जुबेदा अ.सा.५ ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया 09-कि घटना के समय वह जबलपुर में थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटना दशहरा के दिन की है तथा गांव में रावण दहन का कार्यक्रम था तथा उक्त कार्यक्रम में गांव के 100–200 लोग इकट्ठा थे और बाजार चौक में हल्ला हो रहा था, उक्त बाज चौक में पप्पू का पानठेला है, पानठेले के पास बहुत से लोग खड़े थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उक्त बात 7–8 बजे की है। साक्षी के अनुसार रात्रि नौ बजे की है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटना के समय अंधेरा था और घटना रसीद के घर के सामने की है, घटना के समय गांव के लोग शोर कर रहे थे, तो उन लोगों ने मना किये थे, उसी बीच देवदत उनके घर आया था और हल्ला करने से मना किया था, तब गांव के लोगों के बीच एवं देवदत के साथ झगड़ा हो गया था, उसे चोट धक्का-मुक्की एवं लामा-झुमी के कारण आई थी। यह अस्वीकार किया कि उक्त भीड़भाड़ में उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया कि आरोपी भरत एवं शरद ने कोई मारपीट नहीं किये थे। यह अस्वीकार किया कि भरत एवं शरद वहाँ उपस्थित नहीं थे, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसके साथ आरोपी गुड़डू एवं राकेश के

अतिरिक्त किसी अन्य लोगों ने मारपीट नहीं किये थे। यह अस्वीकार किया कि देवदत एवं रसीद के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ था, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसके पुलिस ने कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी के अनुसार उसे बयान का आज ध्यान नहीं है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसे बयान पढकर बताने के बाद उसने सही होना बताई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसने जो झगडा होने वाली बात बताई थी, उसमें 15-20 लोग झगडा कर रहे थे तथा अंधेरी रात्रि होने से उसने सभी को देख नहीं पाई थी, इसलिये उनका नाम नहीं बताई थी, घटना के पूर्व हरीश की दुकान में चोरी हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि हरीश ने उसके पिता के विरूद्ध रिपोर्ट की थी उसे जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया कि शरद एवं भरत हरीश के भतीजे है, किन्तू यह अस्वीकार किया कि उक्त रिपोर्ट से बचने के लिये उसने हरिश, शरद एवं भरत का नाम झूठी बताई हूँ। यह स्वीकार किया कि घटना के समय पप्पू नहीं था तथा पप्पू के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। साक्षी के अनुसार मारपीट हुई हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह अस्वीकार किया कि उक्त रात्रि को पप्पू नहीं आया था। साक्षी के अनुसार पप्पू रात्रि 10 बजे आया था और मारपीट किये थे। यह स्वीकार किया कि पप्पू को मारपीट के दौरान बहुत चोटें आई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके साथ पप्पू का भी मुलाहिजा हुआ था। उक्त साक्षी ने गांव के लोगों तथा देवदत के बीच झगड़ा होने और धक्का-मुक्की एवं लामा-झुमी के कारण उसे चोट लगने के कथन किये हैं। साक्षी ने आरोपी भरत एवं शरद द्वारा किसी प्रकार की मारपीट नहीं करना व्यक्त कर केवल आरोपी राकेश द्वारा उसके साथ मारपीट करने के कथन किये और झगड़े के दौरान 15-20 लोगों के होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी घटना की आहत होकर प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने मूल घटना के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं। 🔨

10— साक्षी जाहिदा खान अ.सा.4 का कथन है कि वह आरोपीगण एवं गुड्डु उर्फ राकेश को जानती है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग 8–9 वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 8:30 बजे ग्राम भण्डेरी में उसके घर की है। आरोपी राकेश एवं न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण उसके घर के सामने शराब पीकर मॉ—बहन की गाली—गलीच दे रहे थे, जो सुनने में अच्छी नहीं लगी थी। उसने आरोपीगण को गाली गलीच करने से मना किया तो आरोपीगण उनके घर पर पत्थर चलाने लगे और उसके घर में घुसकर उसके पिता मो. रसीद एवं देवदत्त के साथ मारपीट करने लगे थे। उन लोग भी जब सामने गये थे आरोपीगण उन्हें भी गाली गलीच करने लगे, उनके बचाव में देवदत्त भैया आये तो उसे लोहे की राड एवं डण्डे से मारपीट किये थे। आरोपीगण जिस स्थानपर खड़े होकर गाली गलीच कर रहे थे वह स्थान भण्डेरी बाजार चौक था। आरोपीगण के द्वारा मारपीट से उसे, उसकी बहन जुबेदा, उसके पिता रसीद एवं पप्पू को चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दशहरा के दिन की बात है और गांव में रावण दहन का कार्यक्रम था, गांव के सब लोग इकट्टा हुये थे

और रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, किन्त् यह अस्वीकार किया है कि रावण दहन के कार्यक्रम में 100-200 लोग थे। साक्षी के अनुसार वह घर में थी, इसलिये नहीं बता सकती कि कितने लोग थे। यह स्वीकार किया है कि जो घटना उसने बतायी है वह आठ–साढ़े आठ बजे की है। यह स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने बयान दी थी। वह यह नहीं बता सकती कि उक्त बयान में आठ—साढ़े आठ बजे की घटना बतायी थी या नहीं। साक्षी के अनुसार घटना पुरानी हो गयी है इसलिये समय का ध्यान नहीं है। वह यह नहीं बता सकती कि पुलिस को बयान देते समय लोहे की रॉड एवं लकडी से मारने वाली बात बतायी थी या नहीं। साक्षी के अनुसार जिन चीजों से मारपीट किये थे वह बता रही हूं। साक्षी के अनुसार उस समय वह डर गयी थी, इसलिये पुलिस को सही बात नहीं बतायी थी। यह अस्वीकार किया है कि कौन लकडी से मार रहा था वह नहीं बता सकती, क्योंकि वह घर के अन्दर थी। साक्षी के अनुसार सभी आरोपी एक साथ मारपीट कर रहे थे, इसलिये कौन किससे मार रहा था, वह नहीं बता सकती। यह अस्वीकार किया है कि देवदत्त उनके घर में घटना दिनांक को 7:00 बजे आ गया था। साक्षी के अनुसार 15—20 मिनट पहले आया था।

साक्षी जाहिदा खान अ.सा.४ ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि देवदत्त को उन्होंने फोन करके बुलाया था, बाजार चौक में गांव के लोग इकट्ठा ह्ये थे। साक्षी के अनुसार मारपीट करने वाले थे। यह स्वीकार किया है कि मारपीट करने वाले 15—20 लोग थे। उसे उक्त सभी 15—20 लोगों का नाम नहीं मालूम। घटना रात के समय की थी, इसलिये वह सब लोगों को देख नहीं पायी थी। साक्षी के अनुसार कुछ लोगों को देख पायी थी। यह स्वीकार किया है कि उन लोगों के साथ आरोपी शरद एवं भरत ने एक साथ कोई वाद–विवाद नहीं किये थे। साक्षी के अनुसार उक्त दोनों शरद और भरत साथ में थे। यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने शरद एवं भरत का नाम नहीं बताये थे। उसने 15—20 लोगों में से सभी का नाम पुलिस को नहीं बतायी थी, क्योंकि वह उनकों नहीं पहचानती थी। यह स्वीकार किया है कि दशहरा के 4 दिन पहले हरीश के दुकान पर चोरी हो गयी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके अब्बु के विरूद्ध में हरीश ने शक के आधार पर रिपोर्ट लिखा दी थी। यह स्वीकार किया है कि आरोपी हरिश के शरद एवं भरत भतीजे है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि चोरी के अपराध में उसके अब्बू को बुलाकर पुलिस ने थाने में पूछताछ की थी। यह अस्वीकार किया है कि उसे चोट नहीं लगी थी। साक्षी के अनुसार हरीश और गुंडडू के साथ जो लोग आये थे, उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण के खिलाफ रंजिशवश झूठे बयान दी है। यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं किये थे। यह स्वीकार किया है कि घटना घर के सामने की है। यह अस्वीकार किया है कि वह एवं उसके माता पिता तथा देवदत तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर आरोपीगण से मारपीट किये थे। यह स्वीकार किया है कि पप्प का पान ठेला भण्डेरी बाजार चौक में है, तथा घटना दिनांक को पप्पू बालाघाट गया था। साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को सुबह गया था और घटना के समय मौजूद था। उसे याद नहीं है कि पुलिस को बयान देते समय पप्पू बालाघाट गया है, बालाघाट से आने के बाद जो भी बात करना है, वाली बात पुलिस को बतायी थी। साक्षी के अनुसार आरोपी गुडडू और हरीश गाली दे रहे थे। शेष 15—20 लोग भी गाली दे रहे थे, लेकिन उसे उनका नाम नहीं मालूम है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पप्पू का मुलाहिजा हुआ था या नहीं। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के कथन किये। तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना घर के सामने की है, जिसमें 15—20 लोग शामिल थे। उक्त साक्षी ने आरोपी शरद एवं भरत द्वारा किसी प्रकार का कृत्य न करना व्यक्त कर प्रकरण के आरोपीगण के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा उससे मारपीट करने के कथन किये हैं।

🧥 साक्षी देवदत्त धानेश्वर अ.सा.०२ का कथन है कि वह आरोपीगण वह प्रार्थी को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से सात—आंट वर्ष पूर्व रात्रि 9:00 बजे ग्राम भण्डेरी की प्रार्थी के घर की है। घटना दिनांक को वह भण्डेरी तरफ से बैहर की ओर जा रहा था, तो उसने प्रार्थी रसीद के घर के सामने आरोपीगण को विवाद करते देखा था, जैसे ही वह गाडी से उतरा तो आरोपीगण ने उसे लट से मारकर भण्डेरी के मंदिर में फेंक दिया था। उक्त मारपीट में उसे हाथ, सिर, पीठ में चोट लगी थी और बांया हाथ टूट गया था। आरोपीगण मिट्टी तेल डालकर उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। यदि पुलिस की गाड़ी समय पर नहीं आती तो आरोपीगण उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें लगा देते। घटना के समय उसके साथ उसका भाई स्नील भी था और आरोपीगण ने स्नील के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर, मलाजखण्ड तथा रायपुर में हुआ था। उसके सिर में बैहर में टांके लगाये गये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह तथा उसका भाई सुनील आरोपीगण को समझाये थे तो वे उन्हें मादरचोद की गाली दे रहे थे और हाथ में रखे ह्ये लठ से मारपीट किये थे। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे गाली रोड़ के किनारे पर दिये थे तथा उक्त गाली उसे सुनने में बूरी लगी थी।

13— साक्षी देवदत्त धानेश्वर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने पुछताछ कर उसके बयान लिये थे, उसके बयान घटना के दूसरे दिन अस्पताल में लिये थे, उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि जैसे ही वह गाड़ी से उतरा तो आरोपीगण ने उसे लठ से मारकर भण्डेरी के मंदिर में फेंक दिये थे, उक्त मारपीट से उसे हाथ, सिर, पीठ में चोट लगी थी, और मारपीट में उसका बांया हाथ टूट गया था, आरोपीगण उस पर मिट्टी का

तेल डालकर मारने का प्रयास कर रहे थे, यदि पुलिस की गाड़ी समय पर नहीं आती तो आरोपीगण उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देते। यदि उक्त बाते उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी0—1 में न हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस को बयान देते समय अपना बांया हाथ टूटने वाली बात बता दिया था और उसका ईलाज मलाजखण्ड और रायपुर में होने वाली बात भी पुलिस को बता दी थी, यदि उक्त बाते उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी0—1 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। घटना दशहरा के दिन की है, किन्त यह अस्वीकार किया है कि बाजार चौक घटनास्थल पर रसीद के घर के सामने 50—100 लोग थे। साक्षी के अनुसार 8—10 लोग थे।

साक्षी देवदत्त धानेश्वर अ.सा.०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण में 14— स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि वह स्वयं जाकर हन्मान मंदिर में छिप्र गया था। यह स्वीकार किया है कि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी0—1 में लिखी हो तो वह गलत है। यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण की सभी बातें न्यायालय के सामने बता रहा है। साक्षी के अनुसार उक्त बाते उसने पुलिस को भी बताई थी। यह स्वीकार किया है कि रसीद भाईजान के घर के सामने उसे आठ-नौ लोगों ने उसके साथ मारपीट किये थे, जिन्हें वह अच्छी तरह जानता है, उसने पुलिस कथन प्रदर्श डी0-1 में बहुत सारे लोगों ने हमें मारा था मगर रात होने के कारण पहचान नहीं पाया एवं नाम नहीं जानता हूँ, वाली बात नहीं बतायी थी, उक्त बात पुलिस ने कैसे लिखी वह कारण नहीं बता सकता। रसीद भाईजान के घर के सामने विवाद हो रहा था तो वे दोनो भाई अपनी मोटर सायकिल से घर आ गये थे, उक्त घटना रसीद भाईजान के घर के सामने बाजार चौक की है तथा उसने जो बात बतायी है वह रसीद भाईजान के घर के अन्दर की नहीं है। घटना रात्रि 10.00 बजे की है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय अंधेरी रात थी। उसने पुलिस को उससे मारपीट करने वाले आठ-दस लोगों के नाम बता दिये थे। यदि उसके पुलिस कथन में उक्त आठ—दस लोगों के नाम न लिखे हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि आठ–दस लोगों में कौन कौन–सी गाली दे रहा था और कौन लंट से मार रहा था नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार आरोपी हरिश, तेजलाल, राजेश, भरत, शरद, सभी लठ से मार रहे थे। उसने उक्त व्यक्तियों के द्वारा लट से मारने वाली बात पुलिस को बता दी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि घटना होने के बाद वह अपने भाई के साथ वापस आ गया था और पुलिस को उसके या उसके भाई के द्वारा सूचना नहीं दी गई थी। साक्षी के अनुसार उसके भाई के द्वारा पुलिस थाना बैहर आकर सूचना दी गई थी। यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी रसीद भाईजान के घर के सामने आरोपी शरद, भरत, हरिश नहीं थे। यह अस्वीकार किया है कि उक्त तीनों व्यक्ति रावण दहन कार्यक्रम में बस्ती के अन्दर थे।

साक्षी देवदत्त धानेश्वर अ.सा.०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल में उन दोनों भाई के अलावा किसी को चोट नहीं आई थी। यह अस्वीकार किया है कि सुनील धार्वे, तरूण ठाकुर, लवि आरोपीगण के साथ मारपीट कर रहे थे तथा उसी झगडे में वह बीच बचाव करने गया था उसी में उसे चोट लगी थी एवं तीनों व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था तथा उसी घटना पर दुष्यन्त की रिपोर्ट पर उसके व अन्य लोगों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसे ध्यान नहीं है कि बैहर अस्पताल से बालाघाट अस्पताल रिफर किया गया था या नहीं। यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में पुलिस को अपनी मर्जी से बालाघाट ईलाज हेत् नहीं जाना बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, वह रसीद भाईजान के कहने पर आरोपीगणों के नाम बता रहा है, उसे कोई चोट नहीं लगी थी, उसने मलाजखण्ड प्रायवेट हॉस्पिटल में पैसे देकर झुठी रिपोर्ट तैयार कराई थी, उसने मलाजखण्ड में ईलाज करवाने का पैसा दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा स्वयं बैहर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। यह अस्वीकार किया है कि उसके भाई सुनील के द्वारा बैहर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। साक्षी के अनुसार उसके भाई ने पुलिस थाना बैहर में सूचना दी थी, तभी पुलिस मौके पर पहुँची थी। यह स्वीकार किया है कि उक्त सूचना के संबंध में दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसकी रंजिश होने के कारण उसने आरोपीगण के विरूद्ध झुटे बयान दिये है। उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से परिवादी के घर के अन्दर की न होकर सामने बाजार चौक की होना व्यक्त किया तथा आरोपीगण के अतिरिक्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने के कथन किये एवं घटना में उसके तथा सुनील के अलावा अन्य किसी को चोट नहीं आना व्यक्त किया है।

16— साक्षी सुनील धानेश्वर अ.सा.3 का कथन है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी रसीद को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से 8—9 वर्ष पूर्व रात्रि 09:00 बजे ग्राम भण्डेरी प्रार्थी के घर के सामने की है। घटना दिनांक को उसे पता चला था कि उसके भाई देवदत्त धानेश्वर का झगड़ा हुआ है तो वह घटनास्थल पर पहुँचा, जहाँ उसका भाई बेहोश अवस्था में पड़ा था, जब उसने अपने भाई को पानी पिलाने का प्रयास किया, तब आरोपीगण ने उसके सिर पर लकड़ी मारी थी, तब वह घटनास्थल से जान बचाकर भागकर बैहर थाना आकर घटना की सूचना दी थी। उसकी सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर गई थी। आरोपीगण के द्वारा उसके साथ मारपीट करने से उसका दाहिना हाथ फेक्चर हो गया था और सिर पर टांके लगे थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर, मलाजखंड ताम्र परियोजना के अस्पताल मलाजखंड में और उसके बाद रायपुर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका भाई देवदत्त आरोपीगण को समझा रहे थे कि

झगड़ा मत करो तभी आरोपीगण ने उन्हें गुन्दी—गन्दी गाली देकर लठ से मारपीट की थी तथा घटना लगभग सात—आठ वर्ष पूर्व की है, इसलिये उसे पुरी बात ध्यान नहीं आ पाई थी और उसने उक्त बाते अपने मुख्यपरीक्षण में नहीं बतायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वह करीब नौ बजे शाम को बैहर में था, तब उसे पता चला कि देवदास धानेश्वर के साथ झगड़ा हुआ है। उसे जब झगड़े के बारे में पता चला तब वह ग्राम भण्डेरी गया, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह जब भण्डेरी गया, तब उसका भाई ग्राम भण्डेरी में हनुमान मंदिर के पास बेहोश हालत में मिला। साक्षी के अनुसार हनुमान मंदिर में पुलिसवालों को बेहोश हालत में मिला था। उसका भाई बेहोश था, उसने उसे पानी पिलाया। उसके बाद वह भण्डेरी से बैहर आ गया। शुरू में वह बैहर से दस—ग्यारह बजे भण्डेरी पहुँचा था और भण्डेरी से रात्रि में बारह बजे वापस आया था।

17— <equation-block> र्रे साक्षी सुनील धानेश्वर अ.सा.३ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रात्रि 12 बजे उसके वापस आने के पहले बैहर थाने में किसी ने कोई सूचना नहीं दिया था, वह उसके भाई को देखने के बाद पुलिस थाना बैहर में सूचना देने आया था, अपने पुलिस कथन में घटनास्थल पर बहुत से लोग थे, उन दोनो भाईयों को किसने मारा, रात्रि अधिक होने से आरोपीगण को वे नहीं पहचानते, बताया था, किन्त् यह स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने यह नहीं बताया था कि उसे शाम नौ बजे जब वह बैहर में था, जानकारी मिली थी कि उसके भाई के साथ झगड़ा कर मारपीट की गई है, जिससे वह बेहोश पड़ा है। उसने उसे पानी पिलाने का प्रयास किया तो आरोपीगण ने लकडी से उसे मारे थे, उक्त बातें उसने अपने कथन के दौरान पहली बार बताया है। यह अस्वीकार किया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी और ना ही उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोटें आई थी तथा उसने डॉक्टर से मिलकर अपने शरीर पर चोट आने का लेख करवाया है। यह स्वीकार किया है कि उसके और उसके भाई के द्वारा घटनास्थल पर मौजूद भीड़ को समझाने का मौका नहीं आया। यह अरवीकार किया है कि भीड़ में उसने नहीं देखा था कि कौन गाली गलौच कर रहा है और कौन मारपीट कर रहा है। साक्षी के अनुसार देखा था। उसके बयान घटना के दिन रात को ही दर्ज किये गये थे तथा दूसरे दिन उसके कोई कथन नहीं लिये गये थे। ऐसा नहीं हुआ था कि घटना दिनांक को वह बिरसा नेवरगांव में था। साक्षी के अनुसार वह बिरसा नेवरगांव से लौट रहा था, तब रास्ते में घटना हुई थी। यह स्वीकार किया है कि उसके साथ में रसीद भाईजान व अन्य के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही उसने उन्हें मारते देखा था। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसकी रंजिश होने के कारण उनके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है। उक्त साक्षी ने भी अभियोजन कहानी तथा अन्य साक्षीगण के विपरीत कथन किये हैं तथा जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

साक्षी हमीद अ.सा.०१ ने कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा आहतगण को जानता है तथा आहत सुनील धानेश्वर को नहीं जानता है। वह बचपन से ग्राम भण्डेरी में रहता है तथा वर्ष 2006 में मोहम्मद रसीद और जुबेदा ेशेख भी ग्राम भण्डेरी में रहते थे। लगभग सात वर्ष पूर्व मोहम्मद रसीद और जुबेदा कारोबार नहीं चलने के कारण बालाघाट रहने के लिये चले गये। उसके घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वर्ष 2006 को आहत रसींद एवं उनकी बेटी जहिदा खान एवं जुबेदा खान भण्डेरी में ही रहते थे। यह स्वीकार किया कि उनका मकान उसके मकान से चार मकान बाद है। घटना के समय उनके समाज के चार मकान थे, अधिक से अधिक संख्या में मरार समाज के मकान थे। यह अस्वीकार किया कि आहत रसीद ने घटना दिनांक को उनके घर पर आकर यह बताया था कि उसे व उसके बच्चों को आरोपीगण घर में घुसकर मारपीट कर रहे है तथा उक्त सूचना पर वह रसीद के घर गया और देखा कि आरोपीगण हाथ-मुक्के एवं लकडी से मारपीट कर रहे थे तथा आरोपीगण ने धानेश्वर को भी हाथ-मुक्के और लाठी से मारपीट की थी तथा आरोपीगण जान से मारने की धमकी और गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे। यह स्वीकार किया कि हरी ग्राम भण्डेरी में रहता है। घटना के समय हरी की दुकान में चोरी हुई थी। यह अस्वीकार किया कि उसी बात को लेकर आरोपीगण ने आहतगण के साथ मारपीट की थी और आरोपीगण ने देवदत्त को लाठी से मारपीट की थी। यह स्वीकार किया कि आरोपीगण मरार समाज के हैं।

साक्षी हमीद अ.सा.01 ने यह अस्वीकार किया कि आहतगण ने आरोपीगण के द्वारा उनके साथ मारपीट करने के संबंध में उनके विरूद्ध में दिनांक 30.10.2006 को थाना बैहर में रिपोर्ट की थी तथा आहतगण को आई चोट के संबंध में दिनांक 03.10.2006 को शासकीय अस्पताल बैहर में ईलाज हुआ था तथा घटनास्थल के नजरी नक्शा प्र.पी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र.पी.01 पर नजरी-नक्शा बना हुआ है। यह स्वीकार किया कि नजरी नक्शा प्र.पी.01 पर रसीद के मकान के सामने का कमरा एवं रसीद का मकान दर्शित है। यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.01 के दर्शित नक्शे में हर्षित के मकान के साईड में नवाब की दुकान है। यह स्वीकार किया कि एक साईड में खाली मकान सरेखा का है घटनास्थल का नजरी–नक्शा प्र.पी.01 ग्राम भण्डेरी की बस्ती अनुसार ही बना है। यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष प्र.पी.01 का नजरी—नक्शा रसीद की निशादेही पर नहीं बनाया था तथा प्र.पी.01 का नजरी–नक्शा उसके समक्ष बनाया था, इसलिये उसने मौका उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया थी। यह स्वीकार किया कि वह अभी भी ग्राम भण्डेरी में रहता है और आरोपीगण भी ग्राम भण्डेरी के निवासी है तथा वर्तमान में आहत रसीद बालाघाट में निवास कर रहा है। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण से गांव में रहने के कारण उसके अच्छे संबंध है.

इसलिये आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने की बात वह जानबूझकर छुपा रहा है। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 का कथन न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया कि आहत रसीद के चार मकान बाजू से उसका मकान लगा होने के कारण वह घटना को अच्छे से जानता है, लेकिन आरोपीगण से मिलने के कारण वह आज न्यायालय में झुठे कथन कर रहा है।

20— साक्षी हमीद अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके घटना की कोई जानकारी नहीं है और उसे घटना के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी और पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। प्र.पी.01 पर पुलिस ने कब, कहाँ और कैसे हस्ताक्षर करा लिये उसे नहीं मालूम। उसके समक्ष प्र.पी.01 का दर्शित ऐसा कोई चिन्हित मानचित्र नहीं बनाया गया था और ना ही रसीद ने उसके समक्ष ऐसा मौका—नक्शा बताया था। भण्डेरी बाजार लगता है और पुलिस वहाँ आती—जाती रहती है। बाजार के दौरान पुलिस कागजों पर हस्ताक्षर करा लेती है, जिसका वह कारण नहीं बताती है कि किस सिलिसले में हस्ताक्षर करवाये हैं।

21— साक्षी रमेश इंगले अ.सा.07 का कथन है कि वह दिनांक 03.10.2006 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी—03 भरकर आहत सुनील धानेश्वर को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे अ.सा.११० का कथन है कि वह दिनांक-03.10.2006 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक क्रमांक—504 एवं 224 द्वारा उसके समक्ष आहत शेख मो. रसीद, जुबेदा शेख को परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत शेख मो0 रसीद को चोट कमांक 01 कट्यूजन जो कि पैर के मध्य भाग पर था तथा चोट क्रमांक 02 कंट्यूजन विथ एब्रेजन जिसकी चमड़ी निकल गई थी, जिसमें मध्य भाग में एक छोटा सा एब्रेजन होना पाया था, जो कि लालीमा लिये हुए थी जो घूटने पर अग्रभाग पर पाया था। आहत शेख मो. रसीद की सामान्य अवस्था वह होश में था, नब्ज 88 पर मिनट, रक्तचाप 140 / 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र नियमित होना पाया था। उसके मतानुसार आहत शेख मो. रसीद को चोट कमांक 01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा चोट कमांक 02 साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के 06 घंटे के भीतर की थी एवं उक्त चोटें कडी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। आहत शेख मो. रसीद को भर्ती कर अग्रिम ईलाज हेत् जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आहत जुबेदा पिता शेख मो० रसीद को आई चोट क्रमांक 01 कंट्यूजन बांये सोल्डर ज्वाइंट नियरटिक पर पाया था तथा चोट क्रमांक 02 कंट्यूजन बांये पंजे के रिंग एवं मिडिल फिंगर के उपरी भाग पर होना पाया था। उसके मतानुसार आहत जुबेदा को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी एवं उसके 06 घंटे के भीतर की थी, उसकी रिपोर्ट प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे अ.सा.11 के अनसार उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक चैनलाल क्रमांक-490 द्वारा आहत स्नील को उसके समक्ष परीक्षण हेत् लाया गया था। आहत सुनील को आई चोट कमांक 01 कटी-फटी चोट सिर के दाहिने अग्रभाग पर पाया था तथा चोट कुमांक 02 कटी-फटी चोट सिर के पीछे भाग पर पाया था तथा चोट कमांक 03 एब्रेजन जो कि दाहिने भूजा पर बाहर की तरफ पाया था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें एक्स-रे की सलाह दी गई। चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तू से आ सकती है। उसके परीक्षण के 06 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा की गई परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक रामभजन क्रमांक-220 ने आहत देवदत्त को उसके समक्ष परीक्षण हेत् लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाया था। चोट क्रमांक 01 कटी-फटी चोट तिरछापन लिये, हड्डी तक गहराई लिये, जिससे रक्तस्त्राव हो रहा था, जो कि सिर के पीछे भाग पर थी। चोट क्रमांक 02 एब्रेजन जिसमें चमड़ी निकल गई थी, जो कि पीठ पर दाहिने तरफ थी। चोट कमांक 03 कंट्यूजन दाहिने हाथ पर बाहर की तरफ थी। चोट क्रमांक 04 कंट्यूजन बांये रिष्ट ज्वॉइंट पर बाहर की तरफ होना पाया था। आहत होश में था, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे, नब्ज 88 पर मिनट, रक्तचाप 130 / 72 मिली० ऑफ मरकरी, हृदय एवं श्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। उसके द्वारा आहत को एक्स-रे की सलाह दी गई थी। उक्त चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी एवं उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। चोट कमांक 01 में टांके लगाये गये थे। आहत को भर्ती कर अग्रिम ईलाज हेतू जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है 🙆

24— साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि शेख मो0 रसीद के पसली में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई थी, पैर में कहीं चोट नहीं थी, शेख रसीद ने पैर एवं बांये घुटने में चोट होना बताया था। साक्षी के अनुसार उसने उसके शरीर पर पेट व बांये घुटने में चोट होने से अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.11 तैयार की है वह पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर की थी, शेख मो0 रसीद के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी। उसने उसे एक्स—रे हेतु जिला अस्पताल रिफर नहीं किया था। यह स्वीकार किया कि आहत जुबेदा खान के पैर में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी तथा यदि पैर में चोट होती तो उसकी रिपोर्ट प्र.पी.12 में अवश्य उल्लेख होता, किन्तु यह अस्वीकार किया कि जुबेदा के बांये सोल्जर ज्वॉइंट के मध्य भाग पर कोई चोट नहीं थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.12 पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया है तथा मिडिल फिंगर के उपरी भाग पर जो उसकी रिपोर्ट के आधार पर चोट होना बताया है वह आहत के शरीर पर नहीं थी, उसने पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थिया से मिलकर तैयार किया है। यह स्वीकार किया कि जुबेदा की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी।

साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में आहत सुनील को सिर के मध्य भाग पर कोई चोट नहीं थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि सुनील के अग्र एवं पश्च भाग पर कोई चोट नहीं थी, अग्र एवं पश्च भाग पर कोई खून के निशान नहीं थे, दाहिने हाथ पर किसी प्रकार की चोट नहीं थी, किन्तू यह स्वीकार किया कि उसने सुनील को एक्स-रे एवं ईलाज हेत् मलाजखंड अस्पताल नहीं भिजवाया था तथा आहत सुनील के शरीर पर आई चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी। यह अस्वीकार किया कि उक्त चोटें गाडी से गिरने पर तथा ठोस व खुरदरी सतह पर टकराने एवं रगड़ने से आ सकती है। यह अस्वीकार किया कि आहत देवदत के शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसके दाहिने हाथ की कलाई पर चोट नहीं थी। यह अस्वीकार किया कि देवदत के दांये एवं बांये हाथ पर चोट नहीं थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसने देवदती को र्ईलाज के लिये मलाजखंड अस्पताल रिफर नहीं किया था तथा देवदत व सुनील ने उसे कोई एक्स–रे रिपोर्ट लाकर नहीं दी थी। यह अस्वीकार किया कि आहतगण को आई चोटें स्व-निर्मित हो सकती है तथा वह उक्त चोटों का समय नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा प्रकरण में उल्लेख किया गया है। यह अस्वीकार किया कि उसने उक्त सभी रिपोर्ट आहतगण से मिलकर झुठी तैयार कर लिया है। साक्षी के कथनों से घटना के समय परिवादी रसीद, जुबेदा, सुनील तथा देवदत को चोटें आना दर्शित है।

26— साक्षी अमरतिसंह अ.सा.08 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा वे सभी ग्राम भण्डेरी के निवासी है। उसके समक्ष आरोपी राकेश उर्फ गुडडू एवं शरद धुपे, भरत धुपे से पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रपी0—4 से लगायत 06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हस्ताक्षर तब करता है, जब उसके सामने कार्यवाही होती है। साक्षी के अनुसार उक्त दस्तावेज में उसने

हस्ताक्षर घटना के बाद किये थे। यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी राकेश उर्फ गुडडू एवं शरद, भरत, से जप्ती पत्रक प्रपी0–4 से लगायत 06 अनुसार एक-एक बांस की लाठी जप्त की थी। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके गांव के होने के कारण जप्ती पत्रक प्रपी0-4 से लगायत 06 तक की कार्यवाही उसके समक्ष होने के उपरान्त भी वह सही बात नहीं बता रहा है। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह उपसरपंच था और हस्ताक्षर की महत्वपूर्णता को जानता है। यह अस्वीकार किया है कि प्रपी0-4 से लगायत 06 के दस्तावेजों में उसने हस्ताक्षर इसलिये किये थे क्योंकि जप्ती की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी। यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी0-4 से लगायत 06 के दस्तावेजों में उसके हस्ताक्षर है, उसमें बांस की लाठी जप्त होना लेख है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी0-4 से लगायत 06 के दस्तावेजों में उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर बालाघाट में किये थे, तब दस्तावेज कोरे थे और किस संबंध में हस्ताक्षर करवाये थे यह भी पुलिस ने उसे नहीं बताया था और ना ही उसने पुलिस से पूछा था। यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

साक्षी शंकर अ.सा.10 का कथन है कि वह आरोपीगण तथा 27— प्रार्थी मो0 रसीद को जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरोपीगण से उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्त् जप्ती पत्रक प्रपी0-4, 5 एवं 6 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगण का उसके समक्ष गिरफतार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफतारी पत्रक प्रपी0-08, 09, एवं 10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसके समक्ष दिनांक 27.10.2006 को प्र.पी.04, 05 एवं 06 के अनुसार एक-एक बांस की लाठी जप्त की गई थी तथा आरोपीगण को प्र.पी.08, 09 एवं 10 के अनुसार गिरफ़तार किया गया था। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 से लगायत 10 पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई थी, तभी उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किया था, किन्तू यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ा-लिखा है। यह अस्वीकार किया है कि उसने समस्त दस्तावेजों को पढकर ही हस्ताक्षर किये थे तथा वह आरोपीगण से मिल गया है इसलिये असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण उनके गांव के है, इसलिये वह उन्हें पहचानता है तथा उसके सामने आरोपीगण से लकड़ी की जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी, गांव भण्डेरी में बाजार लगता है और वहाँ पुलिसवाले आते है और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाते रहते है, जिनसे दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाने के बारे में जिन लोग नहीं पूछते है, प्र.पी.04 लगायत प्र.पी. 10 के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर है वह उसके हस्ताक्षर के समय कोरे थे, उसे आरोपीगण एवं प्रार्थी के बीच विवाद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

साक्षी उमेदसिंह अ.सा.०९ का कथन है वह दिनांक 03.10.2006 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी मो0 रसीद भाई मुसलमान के द्वारा अपराध क.111 / 2006 धारा 448, 323, 294, 506 बी, 34 भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोपीगण गुडडू उर्फ राकेश बनिया, हरी उर्फ हरीश मरार भरत मरार, तथा शरद मरार, साहिन भण्डेरी के विरूद्ध उसने प्र0स्०रिं० प्रपी0-1 लेख कराया था। उसने द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया था जो कि प्रपी0-7 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर फरियादी मो0 रसीद के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक की ही उनके द्वारा प्रार्थी मो0 रसीद मुसलमान की निशादेही पर ग्राम भण्डेरी में जाकर घटना स्थल का मौका-नक्शा तैयार किया था जो कि प्रपी0-1 है जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है तथा ए से ए भाग पर घटना स्थल बताने वाले गवाह हमीद के हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को उनके द्वारा साक्षी हमीद मुसलमान, हमीद कुरैशी, जहिदा खान, मो0 रसीद भाई मुसलमान, जुबेदा शेख के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 03.10.2006 को रात्रि करीब 12:15 मिनट पर प्रथम सूचना पत्र प्रपी0—1, लेखबद्ध किया था और रात को 12:15 बजे रसीद खान रिपोर्ट कराने थाना आया था और रिपोर्ट दर्ज कराया था। यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 03.10.2006 को रात्रि 12:15 बजे प्रार्थी रसीद खान थाना में रिपोर्ट लिखाने नहीं आया था। यह अस्वीकार किया है कि प्रथम सचना पत्र प्रपी0–7 दुसरे दिन प्रार्थी से मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण बनाने के आशय से लेखबद्ध किया है। यह अस्वीकार किया है कि प्रपी0-7 की जो इबारत साक्षी ने लेखबद्ध किया है, जो कि साक्षी रसीद खान के द्वारा नही बताई गई थी साक्षी ने अपने मन से लेखबद्ध किये है 🇥

साक्षी उमेदसिंह अ.सा.०९ ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि प्रथम सूचना पत्र प्रपी0–7 के लिखाये जाने के बाद उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। यह स्वीकार किया है कि किसी भी प्रकरण की विवेचना के लिये जाने एवं वापस आने के दौरान रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। यह अस्वीकार किया है कि साक्षी दिनांक 03.10.2006 को ग्राम भण्डेरी नहीं गया था। यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में मौका नक्शा बनाने हेत् ग्राम भण्डेरी जाने व आने का रोजनामचा सान्हा की नकल संलग्न नहीं है, साक्षी उसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार केस डायरी में आने–जाने का समय इंद्राज है। यह स्वीकार किया है कि रोजनामचा सान्हा क्रमांक क्या है एवं रवानगी का समय एवं वापसी का समय इंद्राज नहीं है। साक्षी के अनुसार केस डायरी में इंद्राज है। यह अस्वीकार किया है कि हमीद खान के सामने साक्षी ने मौका नक्शा प्रपी0–1 की कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी रसीद की निशादेही पर मौका नक्शा बनाया था, किन्तु उसके मौका नक्शा प्रपी0–1 पर हस्ताक्षर नहीं कराया, वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि साक्षी ने मौका नक्शा थाने में बैठकर बनाया था तथा मौका नक्शा बनाने का समय मौके नक्शे पर लेख नहीं किया है। साक्षी के अनुसार 01 बजे लेख किया था। यह स्वीकार किया है कि प्रपी0-1 के कंडिका 8 में घटना स्थल पर पहुंचने का समय 01 बजे लिखा है। यह अस्वीकार किया है कि मौका नक्शा बनाये जाने पर पृथक से प्रपी0-1 पर समय का इंद्राज नहीं है। साक्षी के अनुसार कंडिका 08 में इस बात का उल्लेख होता है। यह स्वीकार किया है कि मौका नक्शा में स्थित मकान व रोड की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है। यह अस्वीकार किया है कि प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल आंगने होना बताया है जबकि घटना रोड पर हुई थी। यह अस्वीकार किया है कि हमीद ने साक्षी को कोई बयान नहीं दिया था साक्षी ने उसके बयान अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था। यह अस्वीकार किया है कि हमीद साक्षी को नहीं मिला था या गांव में ही नहीं था। यह अस्वीकार किया है कि साक्षी को हबीब खान ने भी बयान नहीं दिया था, उसके बयान साक्षी ने अपने मन से लेखबद्ध कर लिया है। यह अस्वीकार किया है कि जाहिदा खान एवं जुबेदा शेख ने जैसा कथन साक्षी ने लेखबद्ध किया है वैसे बयान नहीं दिये थे, साक्षी ने अपने मन से जाहिदा एवं जुबेदा शेख के कथन अंकित कर लिये है।

साक्षी उमेदसिंह अ.सा.०९ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जुबेदा एवं जाहिदा के कथन साक्षी ने किस समय अंकित किये थे, समय नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार समय का इंद्राज केस डायरी में होगा। यह अस्वीकार किया है कि साक्षी ने रसीद खान का जिस प्रकार कथन लेखबद्ध किया है उस प्रकार का कथन नहीं दिया था। यह अस्वीकार किया है कि प्रपी0-2 का कथन साक्षी ने रसीद भाई के कहे अनुसार न लेख कर अपने मन से घटा बढाकर लेखबद्ध कर लिया है। यह अस्वीकार किया है कि साक्षी ने प्रपी0-2 का बयान लेखबद्ध किये जाने के बाद उनको पढ़कर नहीं सुनाया गया था। यह स्वीकार किया है कि जुबेदा खान, जाहिदा शेख, एवं रसीद खान के बयान कहां उल्लेख किया था नहीं बता सकता। केस डायरी में इसका उल्लेख है। साक्षी नहीं बता सकता कि दिनांक 03.10. 2006 को देवदत्त धानेश्वर, सुनील धानेश्वर, व अन्य के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वह नहीं बता सकता कि देवदत्त सुनील व अन्य के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर ग्राम भण्डेरी के लोग आये थे, जिनके विरूद्ध प्रार्थी से मिलकर झूठा प्रकरण पेश किया गया है जिसे हरीश के दुकान में हुई चोरी के संबंध में जानकारी नहीं हैं। यह अस्वीकार किया है कि प्रार्थी से मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

31— साक्षी राजेन्द्र सिलेवार अ.सा.12 का कथन है कि वह दिनांक—22.12.2006 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक—111/06 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा धारा—448, 323, 325, 294, 506, 34 भा.द.वि. की डायरी प्राप्त होने पर घटनास्थल ग्राम भण्डेरी फरार आरोपी हरीश उर्फ हरी का फरारी

पंचनामा प्रदर्श पी—14 गवाह देवीलाल, अमृतसिंह की निशादेही पर तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि फरारी पंचनामा प्र.पी.14 हरीश के घर नहीं बनाया था बाजार चौक में बनाया था। साक्षी के अनुसार बाजार चौक पर उसने सरपंच व कोटवार से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत बनाया था। यह स्वीकार किया कि बाजार चौक से हरीश का घर कितनी दूरी पर था, वह नहीं बता सकता है।

उपरोक्त साक्ष्य से घटना के समय आहतगण को चोटें आने 32-की पुष्टि होती है, परंतु अभियोजन कहानी के अनुरूप अभियुक्तगण घटना करने के संबंध में प्रकरण में अपूष्ट साक्ष्य है। परिवादी रसीद अ.सा.०६ के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से घटना घर के सामने चौक की होना व्यक्त किया। घटना के समय आहत देवदत की उपस्थिति के संबंध में सभी साक्षियों ने विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षीगण के अनुसार घटना में अभियुक्तगण के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनके संबंध में प्रकरण में कोई विवेचना दर्शित नहीं है। अधिकांश साक्षियों ने अभियक्तगण भरत एवं शरद द्वारा घटना के समय कोई कृत्य न करना व्यक्त किया है। प्रकरण के सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी के विपरीत आपसी विरोधाभासी कथन किये है, जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। घटना का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने नहीं किया है। घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराना दर्शित है तथा धमकी के संबंध में किसी भी साक्षी ने लेश मात्र कथन भी नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन कहानी के संबंध में युक्ति–युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—02.10.2006 को रात्रि के करीब 10:00 बजे स्थान मोहम्मद रसीद का मकान ग्राम भण्डेरी थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी मोहम्मद रसीद के आंगन में जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन कर जाहिदा खान एवं जुबेदा शेख को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉं–बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, मोहम्मद रसीद को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस आशय के अग्रसरण में मोहम्मद रसीद, जुबेदा शेख, सुनील धानेश्वर को हाथ-मुक्के एवं लाठी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया, आहत देवदत्त को लाठी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया तथा फरियादी मोहम्मद रसीद को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–456, 294, 323 / 34(शीर्ष–तीन), 325, 506 भाग–2 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

33— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

34— आरोपीगण शरद एवं भरत दिनांक 27.10.2006 से दिनांक 30.10.2006 तक अभिरक्षा में रहे है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

35— प्रकरण में आरोपी गुड्डू उर्फ राकेश फरार होने से प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

ALINA ALINA POPOLO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PRO

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट